कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग राजस्थान, जयपुर

इन्दिरा गांधी नहर मण्डल भवन, डॉ. भीमराव अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, ज्योति नगर मोड़, जयपुर–302005 (राज0)

क्रमांकः– गो.शा. / राप / कामूप / परिपत्र / मुअजसं / 2025 / 338-353 दिनांकः– 03/04/2025

1. **मुख्य अभियन्ता**

उत्तर संभाग, हनुमानगढ़ / एस डब्ल्यू आर पी डी, जयपुर / गुण नियंत्रण एवं सतर्कता, जयपुर / जल संसाधन संभाग, कोटा / जल संसाधन संभाग जोधपुर / आई एम टी आई कोटा / मु०अ० (पूर्व) एवं अति०सचिव सि.क्षे.वि.जयपुर / मु०अ० (पश्चिम) सि.क्षे.वि., बीकानेर / ई गा न प, बीकानेर / राजस्थान रिवर बेसिन एवं जल संसाधन आयोजना प्राधिकरण, जयपुर।

2. **अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता**

जल संसाधन संभाग जयपुर / जल संसाधन संभाग उदयपुर / ई गा न प, जैसलमेर / रेगुलेशन एवं सतर्कता बीकानेर।

3. **सचिव, इन्दिरा गांधी नहर मण्डल, जयपुर।**
4. **प्रबन्ध निदेशक, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम, जयपुर।**

विषयः– राज्य सरकार के समस्त राजसेवकों के निर्धारित कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रारूप को अपग्रेड करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कार्मिक (क–1 / गो. प्र.) विभाग के पत्र क्रमांक प.13(51)कार्मिक / क–1 / गो.प्र. / 2025(19)–24149 दिनांक 26.03.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा विभाग के अधीन पदस्थापित विभिन्न संवर्गो के राजसेवकों का उनके कार्य की प्रकृति के आधार पर कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का प्रारूप तैयार कर सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त कार्मिक विभाग को भिजवाने हेतु निर्देशित किया है, ताकि राजकाज पोर्टल पर संवर्गवार कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का प्रारूप उपलब्ध कराया जा सकें।

उक्त के क्रम में निवेदन है कि वर्तमान में राज्य सेवा अधिकारियों / अन्य राज्य सेवा अधिकारियों हेतु नियत कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रारूप में उनके कार्य की प्रकृति के आधार पर यदि कोई बदलाव अपेक्षित है तो इसके प्रस्ताव सात दिवस में इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(मुकेश कुमार गुप्ता)
अधीक्षण अभियंता एवं प्रा.सहा.
वास्ते मुख्य अभियंता, जल संसाधन
राजस्थान जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Mukesh Kumar Gupta
Designation : Superintending Engineer
Date: 2025.04.0[illegible] [illegible]:05:15 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14555929

D. No. 1528 PS/ACS/WR/SWR GNP
Date 27/3/25

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–1/गो0प्र0) विभाग

क्रमांकः प.13(51)कार्मिक/क–1/गो.प्र./2025(19)–24149 जयपुर, दिनांकः

अतिरिक्त मुख्य/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष एवं जिला कलक्टर।

विषयः–राज्य सरकार के समस्त राजसेवकों के निर्धारित कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रारूप को अपग्रेड़ करने के संबंध में।

JSWR(I)
CE WR(I)
DS (I)
DS (GNI)

राज्य सरकार के राजसेवकों (राजपत्रित/अराजपत्रित) के लिए वर्तमान में निर्धारित कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का प्रारूप संवर्गवार नहीं है। प्रत्येक संवर्ग के कार्य की प्रकृति अलग–अलग होती है, जिससे वर्तमान कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के प्रारूप में उनके कार्यों का समग्र मूल्यांकन नहीं हो पाता है।

प्रत्येक संवर्ग के कार्यों की प्रकृति के आधार पर उनका कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का प्रारूप निर्धारित किया जाना आवश्यक है, जिससे उस संवर्ग के राजसेवकों का उनके कार्य की प्रकृति के आधार पर समग्र मूल्यांकन किया जा सके।

अतः सभी प्रशासनिक विभागों, विभागाध्यक्षों एवं जिला कलक्टर्स को व्यादिष्ट किया जाता है कि अपने अधीन पदस्थापित विभिन्न संवर्गों के राजसेवकों का उनके कार्य की प्रकृति के आधार पर कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का प्रारूप तैयार कर सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें, ताकि राजकाज पोर्टल पर संवर्गवार कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का प्रारूप उपलब्ध करवाया जा सकें।

SE 8117
28/3/25

EE 8
28/3/25

कार्यालय मुख्य अभियन्ता जल संसाधन राजस्थान, जयपुर
क्रमांक 1624
दिनांक 01/03/2025

(कृष्णा कान्त पाठक)
शासन सचिव

Signature valid
Digitally signed by Krishna Kant Pathak
Designation : Secretary To Government
Date: 2025.03.26 14:21:41 IST
Reason: Approved

Conf Cell
1/4/25

Recived
2/4/25

RajKaj Ref No.: 14218498